

e-Stamp

7458/14




Certificate No. : IN-UP65965477249442W  
 Certificate Issued Date : 30-May-2024 04:05 PM  
 Account Reference : NEWIMPACO (SV)/ up14450304/ MEERUT SADAR/ UP-MRT  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1445030428125837209895W  
 Purchased by : SMT REEMA BANSAL  
 Description of Document : Article 23 Conveyance  
 Property Description : MIG PLOT NO-84 SITUATED AT POCKET-W/ GANGA NAGAR MEERUT  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY MEERUT  
 Second Party : SMT REEMA BANSAL  
 Stamp Duty Paid By : SMT REEMA BANSAL  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,92,500  
 (Two Lakh Ninety Two Thousand Five Hundred only)

सत्यमेव जयते


500₹2,92,500₹2,92,500₹2,92,500

2,92,500

E-STAMP  
VERIFIEDE-STAMP  
LOCKED

IN-UP65965477249442W

Please write or type below this line



विक्रय विलेख



द्वितीय पक्ष

Reema Bansal

RD 0025830945


## Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

विक्रय विलेख


यह अंकन रूपये 2,92,500/- (दो लाख बानवें हजार पाँच सौ रूपये मात्र) का e-Stamp Certificate NO IN-UP65965477249442W जारी दिनांक 30.05.2024 पर श्रीमती रीमा बंसल पत्नी श्री उमाकान्त जिंदल निवासी-24, अलकापुरम, अशोक कॉलोनी, मेरठ रोड, हापुड के पक्ष में उ०प्र० सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं०वि०क०नि०-5-2756/11-2008-500 (165)/2007 दिनांक 30.06.2008 के पक्ष में स्टाम्प अदा करते हुये प्राधिकरण की गंगानगर आवासीय योजना के पाकेट डब्लू में आवंटित मध्यम आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड संख्या डब्लू-84, के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के साथ संलग्न है।

उप प्रभारी सम्पत्ति-प्रथम  
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ



प्रथम पक्ष

  
द्वितीय पक्ष



## भूखण्ड का विक्रय विलेख


यह विक्रय विलेख सन 2024 ई0 के माह 06 के 18 वे दिवस को मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ जिसका मुख्यालय मेरठ में है तथा जिसका समस्त कार्य उसके उपाध्यक्ष से माध्यम से होता है तथा जिस शब्द में जब तक कि प्रसंग से प्रतिकूल न हो, उत्तराधिकारी समनुदेशिती तथा अभ्यार्पिती सम्मिलित होंगे जिन्हे विलेख में आगे चलकर प्रथम पक्ष विक्रेता उल्लिखित किया गया श्रीमती रीमा बंसल पत्नी श्री उमाकान्त जिंदल निवासी-24, अलकापुरम, अशोक कॉलोनी, मेरठ रोड, हापुड तथा जिस शब्द में जब तक कि प्रसंग से प्रतिकूल न हो उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रतिनिधि तथा अनुमति प्राप्त नामित एवं अभ्यार्पिती सम्मिलित होंगे जिसे आगे चलकर इस विलेख में 'द्वितीय पक्ष' क्रेता से उल्लिखित किया गया है, के मध्य निष्पादित किया जाता है।


चूकि प्रथम पक्ष गंगानगर आवासीय योजना के पाकेट डब्लू में आवंटित मध्यम आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड संख्या डब्लू-84 के पूर्ण स्वामी व काबिज है। उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 120.00 वर्ग मीटर है और जिसकी चतुर्थ सीमाये और माप इस विलेख के अन्त में दर्शायी गयी है एवं उपरोक्त सम्पत्ति का नक्शा भी संलग्न है, को द्वितीय पक्ष कृषकों के साथ हुए समझौते पर न्यायालय जिला जज, मेरठ द्वारा पारित आदेशानुसार प्रतिकर मद में देय बढी हुई धनराशि सहित कीमत अंकन रूपये 38,38,200.00 (शब्दों में रू0 अडतीस लाख अडतीस हजार दो सौ मात्र) का एवं उक्त भूखण्ड में निहित भूमि के मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड की अंकन धनराशि रूपये 4,60,584.00 को भुगतान क्रेता द्वारा विक्रेता को करने के उपरान्त प्रथम पक्ष उसे विक्रय करने तथा द्वितीय पक्ष क्रय को सहमत हुआ है। उक्त अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष के पक्ष में निम्नलिखित अधिकार सदैव आरक्षित रहेंगे।

1- यह कि विक्रीत भूखण्ड द्वितीय पक्ष के पूर्ण स्वामित्व अधिकार में दिया जा रहा है, जिसके प्रतिफल स्वरूप अंकन रूपये 38,38,200.00 तथा प्रतिफल की धनराशि का 12 प्रतिशत की दर से रूपये 4,60,584.00 फ्रीहोल्ड का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष से पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष एतद द्वारा स्वीकार करता है।

2- यह कि विक्रीत भूखण्ड के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का कोई कर, परिव्यय या अन्य कोई देय उत्पन्न होता है तो उसके समस्त भुगतान करने का भार द्वितीय पक्ष पर होगा।

3- यह कि द्वितीय पक्ष बाध्य होगा कि वह मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ एवं नगर निगम मेरठ अथवा अन्य किसी संस्था को वर्तमान या भविष्य में प्रभावी सभी ऐसी उप-विधियों, नियमों का पालन करेगा जो अचल सम्पत्ति के दखल के सम्बन्ध में प्रासंगिक हो अथवा उक्त स्थान के अन्य निवासियों, सुरक्षा पर प्रभाव डालते हो।

  
उप प्रभारी सम्पत्ति-प्रथम  
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

  
Reema Bansal



आवेदन सं०: 202400734046770

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 7458

वर्ष: 2024

प्रतिफल- 4317519 स्टाम्प शुल्क- 292500 बाजारी मूल्य - 4318000 पंजीकरण शुल्क - 43180 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग: 43240

श्रीमती रीमा बंसल,  
पत्नी श्री उमाकान्त जिंदल  
व्यवसाय: नौकरी  
निवासी: 24 अलकापुरम अशोक कालोनी मेरठ रोड हापुड़

*Reema Bansal*




ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 18/06/2024 एवं 02:25:12 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

*Reema Bansal*

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

*Pradeep Kumar Prabhari*  
प्रदीप कुमार प्रभारी  
उप निबंधक :सदर द्वितीय  
मेरठ  
18/06/2024

निबंधक लिपिक  
18/06/2024



4- यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की पूर्व लिखित अनुमति के बिना अथवा प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित रेखाचित्र में अनुमति की शर्तों के प्रतिकूल उक्त भूखण्ड पर तद्समय हुये निर्माणों में न तो कोई परिवर्तन या परिवर्धन करेगा या किये जाने की अनुमति देगा।

5- यह कि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की सहमति के बिना उक्त विक्रीत अचल सम्पत्ति का प्रयोग न तो किसी धार्मिक प्रयोजन या ऊपर वर्णित प्रयोजन के अतिरिक्त करेगा, न ही किसी अन्य प्रयोजनार्थ करेगा या किसी अन्य को किये जाने की अनुमति देगा।

6- यह कि द्वितीय पक्ष किसी भी दशा में भूखण्ड को न तो खण्डित करेगा और न ही प्रथम पक्ष की पूर्व अनुमति प्राप्त किये खण्डित करके उसका उपविभाजन करेगा।


7- यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष सदस्यों/अधिकारियों व अधीनस्थ कर्मचारियों को विक्रीत भूखण्ड तथा उस पर निर्माण किये जाने वाले भवन में प्रवेश करने की अनुमति देगा जिसका कि निरीक्षण तथा उपभोक्ता वर्णित आवश्यक कार्यों में कोई बाधा न हो।


8- यह कि प्रथम पक्ष को क्रेता द्वारा या उनके माध्यम/अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा पूर्वोक्त शर्तों के उल्लंघन करने के कारण भूखण्ड का नया विलेख स्वीकार करने के कारण कोई हानि वहन करनी पड़ती है, तो ऐसी हानि की वसूली द्वितीय पक्ष से की जा सकेगी।

9- यह कि विक्रीत भूखण्ड के हस्तान्तरण विलेख तथा इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी विलेख के निष्पादन एवं उसके निबन्धन के सम्बन्ध में होने वाले समस्त स्टाम्प शुल्क व निबन्ध शुल्क को द्वितीय पक्ष वहन करेगा।

10- यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा विभिन्न रसीदों के द्वारा जमा की गयी धनराशि के अदेयता के सम्बन्ध में भविष्य में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो समस्त देनदारी तदनुसार द्वितीय पक्ष को वहन करना होगा।

11- उ0प्र0 शासन कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 के संख्या-क0नि0-7-440/11-2015-700 (111)/13 लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2015 की अधिसूचना के अनुसार आवंटी को न तो कब्जे का प्रस्ताव दिया गया है न ही कब्जा हस्तान्तरण किया गया है। कब्जा विक्रय विलेख के निष्पादन के उपरान्त दिया जायेगा।

  
उप प्रभारी सम्पत्ति-प्रथम  
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

  
Reema Bansal



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 7458

वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री भानु प्रताप उप प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति प्रथम एम डी ए  
मेरठ के द्वारा सतेन्द्र कुमार, लिपिक

निवासी: एम डी ए मेरठ

व्यवसाय: नौकरी

क्रेता: 1



श्रीमती रीमा बंसल, पत्नी श्री उमाकान्त जिंदल

निवासी: 24 अलकापुरम अशोक कालोनी मेरठ रोड हापुड़

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता: 1



श्री पुनीत कंसल, पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद

निवासी: 663 बुढाना गेट रोड प्रहलाद वाटिका मेरठ

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2



श्री गोपाल शर्मा, पुत्र श्री सन्त प्रकाश शर्मा

निवासी: 330 शिवपुरी I हापुड़

व्यवसाय: अन्य

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार  
लिए गए हैं।  
टिप्पणी:

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्रभारी  
उप निबंधक : सदर द्वितीय  
मेरठ  
18/06/2024

निबंधक लिपिक मेरठ  
18/06/2024

प्रिंट करें

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण

योजना का नाम गंगानगर आवासीय योजना के पाकेट डब्लू में आवंटित मध्यम आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड संख्या डब्लू-84, कुल क्षेत्रफल 120.00 वर्ग मी० जिसकी चारो दिशाये की नापे व सीमाये निम्नवत् है:-


नापें


सीमाये

उत्तर की ओर- साईट प्लान के अनुसार  
दक्षिण की ओर- साईट प्लान के अनुसार  
पूरब की ओर- साईट प्लान के अनुसार  
पश्चिम की ओर- साईट प्लान के अनुसार



उत्तर की ओर- साईट प्लान के अनुसार  
दक्षिण की ओर- साईट प्लान के अनुसार  
पूरब की ओर- साईट प्लान के अनुसार  
पश्चिम की ओर- साईट प्लान के अनुसार

इसके साक्ष्य स्वरूप इस विलेख के पक्षों ने ऊपर उल्लिखित दिवस तथा वर्ष को इस विलेख पर सुनकर/समझकर/पढ़कर अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

  
उप प्रभारी सम्पत्ति-प्रथम  
मेरठ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं  
उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी  
प्रथम पक्ष-विक्रेता


  
आवंटी  
द्वितीय पक्ष-क्रेता।



साक्षीगण:-



1. हस्ताक्षर 	2. हस्ताक्षर 
नाम <u>PUNEET KANSAL</u>	नाम <u>जोपाल शर्मा</u>
पिता का नाम <u>श. राजेंद्र प्रसाद</u>	पिता का नाम <u>श्री मूल प्रकाश शर्मा</u>
पता <u>663 Budhachate</u>	पता <u>नं 20330 गियापुर I</u>
<u>Royal Meerut City,</u>	<u>एनएस</u>
<u>Brahm Bahar Meer</u>	<u>7417877659</u>



9837059036




  





आवेदन सं०: 202400734046770

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 12462 के पृष्ठ 121 से 132 तक क्रमांक 7458 पर दिनांक 18/06/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
प्रदीप कुमार प्रभारी  
उप निबंधक : सदर द्वितीय  
मेरठ  
18/06/2024



विक्रीत सम्पत्ति का विवरण

योजना का नाम गंगानगर आवासीय योजना के पाकेट डब्लू में आवंटित मध्यम आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड संख्या डब्लू-84, कुल क्षेत्रफल 120.00 वर्ग मी0 जिसकी चारों दिशाओं की नापे व सीमायें निम्नवत् है:-


नापें


उत्तर की ओर- साईट प्लान के अनुसार  
दक्षिण की ओर- साईट प्लान के अनुसार  
पूरब की ओर- साईट प्लान के अनुसार  
पश्चिम की ओर- साईट प्लान के अनुसार

सीमायें



उत्तर की ओर- साईट प्लान के अनुसार  
दक्षिण की ओर- साईट प्लान के अनुसार  
पूरब की ओर- साईट प्लान के अनुसार  
पश्चिम की ओर- साईट प्लान के अनुसार

इसके साक्ष्य स्वरूप इस विलेख के पक्षों ने ऊपर उल्लिखित दिवस तथा वर्ष को इस विलेख पर सुनकर/समझकर/पढ़कर अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

  
उप प्रभारी सम्पत्ति-प्रथम  
मेरठ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं  
उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी  
प्रथम पक्ष-विक्रेता

  
आवंटी  
द्वितीय पक्ष-क्रेता।


साक्षीगण:-


1. हस्ताक्षर 	2. हस्ताक्षर 
नाम <u>PUNEET KANSAL</u>	नाम <u>ज्योती रानी</u>
पिता का नाम <u>श. रजेंद्र प्रसाद</u>	पिता का नाम <u>श्री मन्त प्रकाश शर्मा</u>
पता <u>663 Budhachate</u>	पता <u>न 20 330 शिवपुरी</u>
<u>Royal Meerut City,</u>	<u>दिल्ली</u>
<u>Prabhat Bafra Meer</u>	<u>7417877559</u>



9837059036




  
Purnee Bansal

  
ज्योती रानी

आवेदन सं०: 202400734046770

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 12462 के पृष्ठ 121 से 132 तक क्रमांक  
7458 पर दिनांक 18/06/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
प्रदीप कुमार प्रभारी  
उप निबंधक : सदर द्वितीय  
मेरठ  
18/06/2024



**SITE PLAN OF PLOT NO. W-84 AT POCKET-W, GANGA NAGAR, EXTENTION , MAWANA ROAD, MEERUT.**

PLOT SIZE = 8.00 X 15.00 M.

PLOT AREA = 120.00 SQ.M.



EAST = PLOT NO.- W-83


NORTH = PLOT NO.- W-97

WEST = PLOT NO.- W-85

SOUTH = 12.00 M. WIDE ROAD

PARK

7.50 M. WIDE ROAD



12.00 M. WIDE ROAD

PLOT'S

PARK

*[Signature]*  
SUR./D.MAN

*[Signature]*  
15.5.2024  
J.E.

*[Signature]*  
15/05/24  
A.E.

*[Signature]*  
T.P.

*[Signature]*  
E.E.

**MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY, MEERUT.**